Ref. No. DICGC/CSD/ 2816 /05.02.908/2019-20

March 02, 2020

Eligible firms as interested

Dear Sir,

Assisting Liquidators for preparing data facilitating expeditious submission of claims – Engagement of External Agency (EA)-Expression of Interest

DICGC, a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India, settles the deposit insurance claims of the liquidated banks in terms of provisions of the DICGC Act, 1961. It has been decided by DICGC to engage the services of an EA to prepare claims data provided by the liquidator as per the data format prescribed by DICGC in the given time frame.

2. Scope of work: The data of the liquidated banks either be may maintained in manual format or in CBS. The data needs to be either converted to electronic format (excel spreadsheet) in former case or to be extracted from CBS in excel format as the case may be. The EA is required to compile the data provided by the liquidator as per DICGC approved (depositor-wise/account type wise) MS-Excel template format in coordination with the liquidator. The EA needs to enter the data fields as per numerical/alphanumerical formats correctly. The EA must have technically qualified personnel well versed with data entry/extraction process. The other terms and conditions are furnished in Annexure.

इच्छक पात्र फ़र्में

महोदय

दावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए परिसमापकों की सहायता करना -बाहरी एजेंसी (ईए)की सेवाएँ लेना रुचि -प्रकटन

डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिसमाप्त बैंकों के जमा बीमा दावों का निपटारा करती है। डीआईसीजीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिसमापक द्वारा प्रदान किए गए दावों के डेटा को दी गई समायावधि में डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करने के लिए बाहरी एजेंसी कि सेवायें ली जाएँ।

2. कार्य क्षेत्र :परिसमाप्त बैंकों का डेटा मैन्अल फॉर्मेट या सीबीएस में रखा जाता है। मैनअल फॉर्मेट में रखने की स्थिति में डेटा को इलेक्टोनिक फॉर्मेट में बदला(एक्सेल स्प्रैडशीट) जाना अथवा एक्सेल फॉर्मेट में सीबीएस से प्राप्त किया जाना, जैसा भी हो, अपेक्षित होगा । ईए के लिए अपेक्षित होगा कि परिसमापक द्वारा प्रदान किए गए डेटा को उससे समन्वय करते डीआईसीजीसी द्वारा अनुमोदित)जमाकर्ता वार (खाता प्रकार वार/एमएस एक्सेल टेम्पलेट्स में संकलित करे। ईए को संख्यात्मकअक्षरांकीय / फॉर्मेट के अनुसार डेटा फील्ड सही रूप में भरने होंगे।ईए के पास डेटा एंटी/ सीबीएस डेटा प्राप्त करने में निपुण तकनीकी अर्हता प्राप्त कर्मी होने चाहिए। अन्य नियम व शर्तें अनुलग्नक में दी गई हैं।



- In this connection, DICGC invites Expression of Interest (EOI) from firms having proficiency in data processing, specifying charges for entering the depositor wise data in the DICGC approved templates. Currently, a floor price of Rs. 1.50 per depositor with a cap of Rs. 3.00 per depositor for entering the depositor details has been decided by the corporation. Apart from this, DICGC may consider incidental charges paying ranging from Rs. 10,000.00 to Rs. 25,000.00 taking into account location of firm and location of bank under liquidation
- 3. इस संबंध में, डीआईसीजीसी अनुमोदित टेम्पलेट्स में जमाकर्ता वार डेटा प्रविष्टि के लिए प्रभार विनिर्दिष्ट करते हुए डेटा प्रोसेसिंग में दक्ष फ़र्मों से रुचि प्रकटन आमंत्रित करता (ईओआई) है। वर्तमान मेंजमाकर्ता के ब्योरों की प्रविष्टि के लिए 3.00 रुपये प्रति जमाकर्ता की सीमा के साथ 1.50 प्रति जमाकर्ता के फ्लोर मूल्य का निर्धारण निगम द्वारा किया गया है। इसके अलावा फ़र्म तथा परिसमापनाधीन बैंक के स्थान के आधार पर डीआईसीजीसी 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक प्रासंगिक व्यय के भुगतान पर विचार कर सकता है।
- 4. The bids must be submitted in a sealed envelope with the superscription: "EOI for engagement of External Agency (EA) to assist liquidators for expeditious submission of claims". The bids should be sent to "The Chief General Manager, DICGC, RBI Building 2nd floor, Byculla, Mumbai-400008" by post or can be put in a drop-box in office so as to reach the same before 5:00 PM on March 24, 2020. The bid documents will be opened at 3.00 PM on March 26, 2020 in the presence of the authorized representative of the tenderers who choose to be present
- 4. बोली सीलबंद लिफाफे में भेजी जाए जिस पर "दावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए परिसमापकों की सहायता हेतु बाहरी एजेंसी (ईए)की सेवाएँ लेना रुचि प्रकटन लिखा होना चाहिए। बोली दिनांक को 2020 मार्च 24 बजे 5.00 अपराहन तक "मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी, आरबीआई बिल्डिंग रा त2ल, भायखला, मुंबई400008-" को डाक द्वारा भेजें अथवा कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालें। बोली दस्तावेज़ दिनांक मार्च 26, 2020 को अपराहन 3.00 बजे निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित होना चाहें, की उपस्थित में खोले जाएंगे।
- 5. DICGC reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reason and will not entertain any correspondence in the matter.

डीआईसीजीसी बिना को कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को रद्द कर सकता है और इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ह-/ (नालबंद .के.डी) उप महाप्रबंधक



संलग्न अनुबंध :

Terms and conditions

- a) The engagement will be for a period of one year from April 01, 2020 to March 31, 2021 subject to satisfactory services. If the services provided by the firm are found to be unsatisfactory DICGC reserves the right to terminate the services of EA.
- b) The EA should possess trained professional with adequate technical knowledge, well versed in MS office to work across pan India.
- The order for services shall be given as per the requirements of the DICGC and liquidator.
- d) The agreement shall be renewed on annual basis subject to review.
- e) Eol received after due date and time (for any reason) or incomplete in any respect are liable to be rejected.
- f) The EA on selection will be required to sign a Confidentiality Agreement.
- g) Availing of services of the EA shall be at the discretion of the liquidator
- h) The time for completion of the assignment of the agency should not exceed 30 days from commencement of work. Any delays in completion of task will attract penalties.
- i) EA personnel (including their experts/ personnel) who have family relationship with any bank employee of the bank U/L should not associate themselves with the said assignment.
- j) The bidder shouldn't be facing any delisting/banning by any Government, Regulatory Authorities, financial institution, etc.;
- k) There should be no insolvency case against the bidder.
- Any present vendor which has supported DICGC in claim settlement

नियम और शर्तें

- क) सेवाएं संतोषजनक पाये जाने के अधीन सेवाएं एक वर्ष 01 अप्रैल 2020से 31मार्च 2021की अविध के दौरान ली जाएंगी। यदि फ़र्म द्वारा प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई गई तो डीआईसीजीसी को अधिकार है कि वह ईए कि सेवाएं समाप्त कर सके।
- ख) ईए के पास पर्याप्त तकनीकी ज्ञान के साथ प्रशिक्षित पेशेवर अधिकारी होने चाहिए जो अखिल भारतीय में स्तर पर काम करने के लिए एमएस ऑफिस में अच्छी तरह से निपुण हों।
- ग) सेवाओं के लिए आदेश डीआईसीजीसी और परिसमापक की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाएगा
- घ) समीक्षा के अधीन वार्षिक आधार पर अनुबंध का नवीकरण किया जाएगा।
- ङ) नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त)िकसी भी कारण से (अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण ईओआई रद्द कर दी जाएगी।
- च) चयन के बाद ईए को गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- छ) ईए की सेवाओं का लाभ उठाना परिसमापक के विवेक पर होगा।
- ज) एजेंसी के पास दिया गया कार्य पूरा करने के लिए कार्य शुरू किए जाने से 30दिन का समय होगा। कार्य पूरा करने के विलंब होने पर दंड लगाया जाएगा।
- झ) ईए कार्मिक)उनके विशेषज्ञ/कार्मिक सहित (जिनके परिसमापनाधीन बैंक के कर्मचारी से पारिवारिक संबंध हैं उन्हें इस कार्य से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- ञ) बोलीकर्ता किसी सरकारी/विनियामक प्राधिकरण/वित्तीय संस्थान आदि द्वारा सूची से हटाया गया /प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।
- ट) बोलीकर्ता के विरुद्ध दिवालियेपन का मामला नहीं होना चाहिए।
- ठ) कोई मौजूदा वेंडर जिसने पिछले तीन वर्षों में दावा निपटान में डीआईसीजीसी का सहयोग



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION (धारतीय रिजर्ज वैंक की संपूर्ण स्वामिलवाली सक्योगी: Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

processing in last three years will not	किया है , पर विचार नहीं किया जाएगा।
be considered	